कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई० ए० एस०, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

उार प्रदेश।

प्रार्थी सर्वश्री शंकर इण्टरप्राइजेज, सी-12, सेक्टर-12, अलीगंज, लखनऊ।

प्रार्थना पत्र संख्या व 044 / 11, 02.06.2011

दिनांक

प्रार्थी की ओर से श्री अरविन्द सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न पूछे गये :---

- (i) Should Contractor require works contract T.D.S.from sub Contractor?
- (ii) Is it mandatory in U.P.VAT that works contract T.D.S is deducted from sub Contractor though T.D.S is being deducted from main Contractor?
- 2. श्री अरविन्द सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त उल्लिखित प्रश्नों को निर्णीत करने का अनुरोध किया गया है।
- 3. एडीशनल किमश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र सं0-569, दिनांक 30.5.2011 से आख्या प्राप्त हुई है। प्राप्त आख्या में कहा गया है कि उप संविदाकार को भुगतान करते समय टी.डी.एस. के रूप में स्त्रोत पर कटौती किया जाना आवश्यक है। उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-34(1) में स्पष्ट प्राविधान है कि संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को भुगतान करते समय स्त्रोत पर कटौती किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को किये गये भुगतान पर टी.डी.एस.की कटौती किया जाना मेनडेटरी है।
- 4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-34(1) में यह प्रावधानित है कि :--

Provided that where in case of a works contract, the contractor has awarded a sub contract and the notification provides for deduction of amount by the contractee from the payments made to contractor, the contractor responsible for making any payment or discharge of any liability to any sub contractor, in pursuance of a contract with the sub contractor; shall, while making payment to the sub contractor, deduct amount of tax referred to above;

Provided further that where in case of a works contract, the contractor has already made deduction from the payments made to his sub contractor, the amount of such payments shall be deducted from the amount on which deduction is to be made by the contractee to the contractor.

सर्वश्री शंकर इण्टरप्राइजेज /प्रा0 पत्र सं0-044 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

- 5. उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि ठेका देने वाला, ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से, धनराशि की कटौती करेगा, तो उप ठेकेदार को की गयी संविदा के अनुसरण में किसी उप ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान या किसी दायित्व के निष्पादन के लिये उरदायी ठेकेदार, उप ठेकेदार को भुगतान करते समय विधि अनुसार कर की धनराशि की कटौती करेगा।
- 6. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, एडीशनल किमश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ की आख्या एवं विधि-व्यवस्था पर विचार किया गया । उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-34 में 'स्त्रोत पर कर की कटौती'' का प्राविधान किया गया है । इस प्राविधान में प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उार निहित है । अतः उार प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-34(1) में प्रावधानित विधि प्रार्थी के उक्त प्रश्नों में लागू होगी ।
- 7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है .
- 8. उपरोक्त की एक प्रति एसोसियेशन व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 नवम्बर, 2012

ह0 / 19.11.2012 (कामिनी चौहान रतन) एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश, लखनऊ।